नथूराम पुत्र बंशीराम दर्ज है, को शुद्ध किया जाकर राजस्व रिकोर्ड में अमल दरामद किये जाने बाबत तहसीलदार जायल को आदेश दिये जाने का निवेदन किया गया।

वकील प्रार्थी की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली साक्ष्य के तौर पर प्रस्तुत किये गये दस्तावेज मौजा डोडू के वर्तमान (2073–2076) खाता संख्या 121 कि जमा बंदी के अवलोकन से स्पष्ट है कि विवादग्रस्त भूमि जो प्रार्थी की खातेदारी की भूमि है जिसमें प्राथी का नाम नथ मल उपाध्याय पुत्र बंशीलाल उपाध्याय के स्थान पर नथूराम पुत्र बंशीराम भूलवश दर्ज किया जाना प्रतीत होता है।

प्रार्थीया का प्रार्थना पत्र एल.आर.एक्ट की धारा 136 में कवर नहीं होता है, परन्तु प्रार्थना पत्र में चाही गई इस्तदुआ का निदान (Remedy) भी राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की सुसंगत धाराओं तथा राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 की सुंसगत धाराओं में नहीं है। प्रार्थीया का वास्तविक नाम खातेदार के रूप में दर्ज नहीं होकर गलत नाम दर्ज हो चुका है जिसका समाधान नहीं होने के कारण प्रार्थी को भारी क्षति हो रही है एवं सरकारी योजनाओं का लाभ महज इसलिए नहीं मिल रहा है कि प्रार्थीया का नाम अन्य सरकारी दस्तावेजात का नाम राजस्व रिकॉर्ड (जमाबंदी) में दर्ज नाम से समानता नहीं रखता है।

अतः राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा–209 में प्रदत्त शक्तियों के तहत स्वतः प्रसंज्ञान से प्रकरण हाजा को धारा 88, 136 का मानते हुये प्रार्थी का राजस्व रिकॉर्ड (जमाबंदी) मौजा डोडू के वर्तमान (2073–2076) खाता संख्या 121 के खसरा नम्बर 226 रकबा 1.9749 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 254 रकबा 1.0198 हैक्टेयर एवं खसरा नम्बर 393/164 रकबा 1.3516 हैक्टेयर एवं खसरा नम्बर 394/191 रकबा 3.1889 हैक्टेयर में दुरूस्त/दर्ज किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

–: : आदेशः : –

अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अधीन धारा 136 आर.एल.आर. एक्ट आंशिक स्वीकार किया जाता है। **मोजा डोडू के खाता संख्या 121 के खसरा नम्बर 226 रकबा 1.9749 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 254 रकबा 1.0198 हैक्टेयर एवं खसरा नम्बर 393/164 रकबा 1.3516 हैक्टेयर एवं खसरा नम्बर 394/191 रकबा 3.1889 हैक्टेयर में दर्ज खातेदार काश्तकार का नाम नथूराम पुत्र बंशीराम के स्थान पर नथ मल उपाध्याय पुत्र बंशी लाल उपाध्याय दुरूस्त** किया जाता है। **उपरोक्त खसरान में से बैंक के रहन खसरान का रहन यथावत् रहेगा।** तहसीलदार डेह को आदेशित किया जाता है कि प्रार्थी का नाम माफिक आदेश राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद करे। यह आदेश आज दिनांक 23/09/24 को मेरे द्वारा सरे इजलास सुनाया गया।

(अभिलेषा)
सहायक कलेक्टर (एस.डी.ओ.)
जायल (नागौर)

Scanned with CamScanner